[2021] 4 एस सी आर 239

कालभैरव हमीरभाई कच्छोट

वी.

गुजरात राज्य

(2015 की आपराधिक अपील संख्या 216)

अप्रैल 28,2021

[अशोक भूषण और आर. सुभाष रेड्डी, जेजे।]

दंड संहिता, 1860: एस। 302 आरडब्ल्यू एस। 34 – हत्या-पक्षों के बीच पिछली दुश्मनी-दुर्भाग्यपूर्ण दिन, अभियुक्त व्यक्तियों ने पीड़ित और दो अन्य लोगों पर चाकू से हमला किया, जिसके परिणामस्वरूप पीड़ित की मृत्यु हो गई, और अन्य दो घायल हो गए-दोषसिद्धि और सजा यू/एस। 302 आरडब्ल्यू एस। 34 और एस। 135 (1) बॉम्बे पुलिस अधिनियम-उच्च न्यायालय ने दोषसिद्धि को बरकरार रखते हुए, एस का लाभ बढ़ाया। 428 सीआरपीसी - हस्तक्षेप-आयोजितः नहीं बुलाया गया-अभिलेख पर चिकित्सा और अन्य साक्ष्य के संदर्भ में सभी गवाहों के पूरे साक्ष्य की जांच करने पर, यह स्पष्ट है कि अभियोजन पक्ष ने आरोपी के अपराध को उचित संदेह से परे साबित कर दिया-सभी अभियुक्तों ने एक सामान्य इरादे से अपराध किया और सभी ने इसमें भाग लिया।

अपराध करना-घायल गवाहों द्वारा पूरी तरह से समर्थित आरोपी की भूमिका के साथ-साथ जांच अधिकारी की गवाही-घायल गवाह की गवाही स्वाभाविक और भरोसेमंद है-घायल गवाहों के बयान में पेश किए जाने की मांग की जाने वाले विरोधाभास मामूली विरोधाभास हैं जो उनके साक्ष्य को त्यागने का आधार नहीं हो सकते हैं-मोटरसाइकिल को जब्त न करने जैसी चूक।

और पीड़ितों में से एक की सोने की चेन, प्रमुख गवाहों की गवाही को बदनाम करने का आधार नहीं जो सुसंगत, स्वाभाविक और विश्वसनीय-आपराधिक मुकदमा-साक्ष्य-गवाह।

याचिकाओं को खारिज करते हुए अदालत ने

पकड़नाः 1.1 अपीलार्थियों के खिलाफ दोषसिद्धि दर्ज करने में निचली अदालत द्वारा लिया गया दृष्टिकोण, जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई है अदालत को बरकरार रखा जाता है। इसलिए, अपीलार्थियों के खिलाफ दर्ज समवर्ती निष्कर्षों में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाता है। यह भी स्पष्ट है कि घटना से लगभग छह महीने पहले मृतक और एक आरोपी के बीच भुगतान को लेकर झगड़ा हुआ था

ट्रैक्टर का किराया। इसके अलावा यह रिकॉर्ड में लाया गया है कि उनके बीच दुश्मनी थी जो अपराध का उद्देश्य है। इस प्रकार, अभियोजन पक्ष ने, उचित संदेह से परे, यह स्थापित किया है कि सभी अभियुक्तों ने एक सामान्य अपराध के साथ अपराध किया है।

इरादा था और अपराध करने में भाग लिया। निचली अदालत के साथ-साथ उच्च न्यायालय ने कानून या व्यवस्था में कोई त्रुटि नहीं की है।

तथ्यों के आधार पर, आदेश को बरकरार रखा जाता है। [पैरा 21] [256-सी-ई] पीडब्लू-8 और 19 की गवाही जो घटना के दिन मृतक के साथ थे और जो उसी दिन यात्रा कर रहे थे

मोटरसाइकिल काफी स्वाभाविक और भरोसेमंद है। हालांकि यह प्रस्तुत किया गया था कि चूंकि घटना नवंबर के महीने में हुई थी, इसलिए अंधेरे में हमलावरों की पहचान करना संभव नहीं था, साथ ही रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि वाहन की हेडलाइट 'चालू' थी और यह घटना स्थल के रिकॉर्ड और पंचनामे से स्पष्ट है कि वहाँ

एक प्रकाश था जो वादी पर था। इसके अलावा, आरोपी और गवाह एक ही गाँव के हैं, जो प्रतीत होता है

यदि एक छोटा सा गाँव हो और आम तौर पर गाँव में रहने वाले लोग अक्सर मिलते हैं, तो व्यक्तियों की पहचान करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। इसलिए, जहां तक अभियुक्त की पहचान का सवाल है

संबंधित है, यह रिकॉर्ड पर साक्ष्य द्वारा अच्छी तरह से समर्थित है। अभियोजन पक्ष ने पीडब्लू-1 की भी जांच की, जिसने बयान दिया था कि वह 10.11.2006 पर अस्पताल में ड्यूटी पर था। उस दिन रात को घायल आर. एम. को उनके भतीजे एच. ने शिकायत के साथ इलाज के लिए उनके पास लाया और कहा कि वी. आर. ने उन पर हमला किया और चाकू से वार किया। गवाह डॉक्टर ने चोट का प्रमाण पत्र जारी किया। पीडब्लू-2, वह डॉक्टर है जिसने मृतक का पोस्टमॉर्टम किया। [पैरा 17] [249-सी-एफ]

प्रस्तुतिकरण कि सिर में कोई चोट नहीं थी, जैसा कि अपदस्थ किया गया था

पीडब्लू-18 और 19 द्वारा मृतक पर और पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के अनुसार, पीडब्लू-18 और 19 के बयान को इस कारण से स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट

सिर के निचले हिस्से में चोट का संकेत देता है। मृतक पर कुल्हाड़ी से हमला करने का प्रयास किया गया। यह उम्मीद नहीं की जा सकती है कि इसे सिर के बीच में मारा जाना चाहिए। यह सिर के निचले हिस्से में गिरा है, यही पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से स्पष्ट होता है। मृतक पर हमला किया गया था

और घायल हो गए, जब वे मोटर साइकिल पर चल रहे थे। इस प्रकार, यह नहीं कहा जा सकता है कि केवल इसलिए कि सिर के केंद्र में कोई चोट नहीं है, पीडब्लू 18 और 19 की गवाही को खारिज कर दिया जाना चाहिए।

कलभाई हमीरभाई कच्छोट वी। गुजरात राज्य

जिस डॉक्टर ने पोस्टमॉर्टम किया है, उसने भी अपने बयान में स्पष्ट रूप से कहा है कि मृतक पर जो भी चोटें देखी गईं, वे पूर्व-पोस्टमार्टम थीं। यदि सभी गवाहों के पूरे साक्ष्य की चिकित्सा और अन्य संदर्भों में जांच की जाती है।

अभिलेख पर साक्ष्य, यह स्पष्ट है कि अभियोजन पक्ष ने अभियुक्त के अपराध को उचित संदेह से परे साबित कर दिया है। सभी अभियुक्तों ने एक समान इरादे से अपराध किया है। अभिलेखसँ ई स्पष्ट होइत अछि जे भूमिकाक श्रेय अभियुक्त सं। 1 , 2 और 3 घायल गवाहों के साथ-साथ जांच अधिकारी के बयान द्वारा पूरी तरह से समर्थित है। हालांकि प्रमुख गवाह, क्रॉस थे लंबे समय तक जाँच करने पर कुछ भी प्रतिकूल नहीं पाया गया। यदि पीडब्लू 20 की गवाही की जांच की जाती है, तो यह पूरी तरह से पीडब्लू 18,19 और 21 के साक्ष्य द्वारा समर्थित है। अभिलेख पर साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि उनकी गवाही स्वाभाविक और भरोसेमंद है और जहां तक पीडब्लू 18 और 19 का संबंध है, यह नहीं कहा जा सकता है कि वे संयोग गवाह हैं। यहां तक कि पीडब्लू 18 और 19 को लगी चोटें भी चिकित्सा विशेषज्ञ की राय के अनुसार स्वयं नहीं लगी हैं। इसके अलावा, जिस डॉक्टर की जांच की गई थी, उनकी राय से यह भी स्पष्ट है कि सभी चोटें मुद्दम्मल चाकू और कुल्हाड़ी से संभव थीं। आगे यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि सीरोलॉजिकल रिपोर्ट जिसमें से मृतक और आरोपी के कपड़ों पर रक्त समूह पाया गया था। 1 और 2 एक ही है। यहां तक कि आरोपी की उपस्थिति के संबंध में नं। 3 , अभिलेख पर पूरे मौखिक साक्ष्य पर विचार करते हुए यह भी स्पष्ट है कि मौके पर उनकी उपस्थिति भी उचित संदेह से परे साबित हुई है। [पैरा 18] [252-सी-एच; 253-ए-बी]

यह नहीं कहा जा सकता है कि पीडब्लू 18 और 19 के बयान में बड़े विरोधाभास हैं। जिन विरोधाभासों की तलाश की जा रही है

पेश किए जाने वाले छोटे विरोधाभास हैं जो उनके साक्ष्य को त्यागने का आधार नहीं हो सकते हैं। अभियोजन पक्ष ने सभी अपीलार्थी-अभियुक्तों के खिलाफ मामले को उचित संदेह से परे साबित कर दिया है। मोटरसाइकिल को जब्त नहीं करने और पीड़ितों में से एक की सोने की चेन को जब्त नहीं करने जैसी चूक, अपने आप में, अभियोजन पक्ष की ओर से जाँच किए गए प्रमुख गवाहों की गवाही को बदनाम करने का कोई आधार नहीं है, जिनकी बात सुसंगत, स्वाभाविक और भरोसेमंद है। [पैरा 19,20] [253-सी-डी; 256-बी-सी] [2021] 4 एस. सी.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

मोहर और अन्र। वी. उत्तर प्रदेश राज्य (2002) 7 एस. सी. सी. 606; राज्य

उत्तर प्रदेश का बनाम। नरेश और ओआरएस। (2011) 4 एससीसी 324;

नारायण चेतनराम चौधरी और अन्र। वी. की स्थिति

महाराष्ट्र (2000) 8 एस. सी. सी. 457 पर निर्भर था।

आनंद रामचंद्र चौगुले आदि। सिदाराई लक्ष्मण

चौगला और ओआरएस। (2019) 8 एससीसी 50: [2019] 11 एससीआर 14 ; अकुला वीरा वेंकट सूर्य प्रकाश @बाबी बनाम।

लोक अभियोजक, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय

(2009) 15 एससीसी 246: [2009] 7 एस. सी. आर. 543; मोहिंदर

सिंह और अन्र। वी. पंजाब राज्य और अन्य। (2004) 12 एससीसी 311 [2011] 4 एस. सी. आर. 1176-संदर्भित

मामला कानून संदर्भ

[2019] 11 एससीआर 14

पैरा 10

संदर्भित किया गया है

[2009] 7 एससीआर 543

संदर्भित किया गया है

पैरा 10

(2004) 12 एस. सी. सी. 311

संदर्भित किया गया है

पैरा 10

(2002) 7 एस. सी. सी. 606

पैरा 19

उस पर भरोसा करें

(2011) 4 एस. सी. सी. 324

उस पर भरोसा करें

पैरा 19

(2000) 8 एस. सी. सी. 457

उस पर भरोसा करें

पैरा 20

आपराधिक अपील

न्यायनिर्णयः आपराधिक ऐप

2015 का सं. 216।

उच्च निगम के 09.05.2014 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2010 की आपराधिक अपील सं. 459 में अहमदाबाद में गुजरात सरकार की ओर से।

के साथ

आपराधिक अपील सं। 453 2021 की और आपराधिक अपील संख्या 2

2018 से।

हरिन पी. रावल, वरिष्ठ अधिवक्ता। , अनिरुद्ध शर्मा, अवधेश कुन

कार्तिकेय कनौजिया, सुकन्या सिंह, समीर स्वर्ण, वैभव वी शंकर नचिकेता जोशी, सुश्री सुचेता जोशी, सुश्री हिमाद्री हक्सर, डी रे, लोकेश कुमार चौधरी, दिलीप कुमार नायक, सुश्री दिशा आर श्रीमती सुमिता रे, अधिवक्ता। अपीलार्थियों के लिए।

सुश्री विशाखा, सुश्री दीपानविता प्रियंका, अनिरुद्ध पी. मे

अधिवक्ता। उत्तरदाता के लिए।

कलभाई हमीरभाई कच्छोट वी। गुजरात राज्य [आर. सुभाष रेड्डी, जे.]

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

आर. सुभाष रेड्डी, जे.

1. एस. एल. पी. में छुट्टी दी गई। (सीआरएल।) 2015 का सं. 3227।

2. ये सभी आपराधिक अपीलें अहमदाबाद में गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 09.05.2014 के सामान्य फैसले के खिलाफ दायर की गई हैं।

2010 की आपराधिक अपील और 2010 की 459, इस प्रकार, उनकी एक साथ सुनवाई की जाती है और इस सामान्य निर्णय द्वारा उनका निपटारा किया जाता है।

एस. एल. पी (सीआरएल।) 2015 का No.3227 अभियुक्त नं. 2 - मुलुभाई मार्कीभाई नंदानिया; और 2015 की आपराधिक अपील No.216 अभियुक्त नं. 3 कलाभाई हमीरभाई कच्छोट। के लिए सुविधा के लिए, उपरोक्त अपीलों में अपीलार्थियों को अभियुक्त संख्या के रूप में संदर्भित किया जाएगा। 1 इसके बाद 3 तक।

4. उपरोक्त अपीलार्थी एफ. आई. आर. सं. में अभियुक्त थे। I-215/2006 दिनांक 11.11.2006 केशोद पुलिस स्टेशन की फाइल पर, जो भारतीय दंड संहिता (आई. पी. सी.) की धारा 302,326,324 और 34 और बॉम्बे पुलिस अधिनियम की धारा 135 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दर्ज की गई थी, जिसमें प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट, केशोद की अदालत में 07.02.2007 पर आरोप पत्र दायर किया गया था। जितने अपराध सत्र न्यायालय द्वारा विचारण योग्य थे, मामला अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, जूनागढ़ के न्यायालय को सौंपा गया था और अभियुक्तों पर 2007 के सत्र मामले संख्या 14 में उपरोक्त अपराधों के लिए मुकदमा चलाया गया था। सभी अभियुक्तों को आईपीसी की धारा 34 और बॉम्बे पुलिस अधिनियम की धारा 135 (1) के तहत अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया था। अभियुक्त नं. 1 वाजशीभाई रामशीभाई

कच्छोट-को आई. पी. सी. की धारा 34 के साथ पठनीय दंडनीय अपराध के लिए दोषी पाया गया था और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी और 12 महीने के लिए आगे एस. आई. से गुजरने के लिए 1,000/- का जुर्माना लगाया गया था। उन्हें आई. पी. सी. की धारा 324 के तहत दंडनीय अपराध के लिए भी दोषी पाया गया और उन्हें Rs.3000/- के जुर्माने की सजा सुनाई गई और चूक में, छह महीने के लिए आगे एस. आई. से गुजरना पड़ा। उन्हें बॉम्बे पुलिस अधिनियम की धारा 135 (1) के तहत दंडनीय अपराध के लिए भी दोषी पाया गया और उन्हें चार महीने के लिए एस. आई. से गुजरने और Rs.100 का जुर्माना देने और चूक में, दस दिनों के लिए आगे एस. आई. से गुजरने की सजा सुनाई गई। अभियुक्त नं. 2 - मुलुभाई मार्कीभाई नंदानिया को अपराध के लिए दोषी पाया गया।

आई. पी. सी. की धारा 34 के साथ पठित धारा 242 के तहत दंडनीय और उसे आजीवन आर. आई. से गुजरने और Rs.10000/- का जुर्माना देने और चूक में, [2021] 4 एस. सी. आर. की सजा सुनाई गई।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

आगे 12 महीने के लिए एस. आई. से गुजरना पड़ता है। उन्हें बॉम्बे पुलिस अधिनियम की धारा 135 (1) के तहत दंडनीय अपराध के लिए भी दोषी पाया गया और उन्हें चार महीने के लिए एस. आई. से गुजरने और Rs.100/का जुर्माना देने और चूक में दस दिनों के लिए एस. आई. से गुजरने की सजा सुनाई गई। अभियुक्त नं. 3 कलाभाई हमीरभाई कच्छोट-को आई. पी. सी. की धारा 34 के साथ पठित धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी पाया गया था और उन्हें आजीवन आर. आई. से गुजरने और Rs.10000/- का जुर्माना देने और चूक में, आगे 12 महीने के लिए एस. आई. से गुजरने की सजा सुनाई गई थी। उन्हें बॉम्बे पुलिस अधिनियम की धारा 135 (1) के तहत दंडनीय अपराध के लिए भी दोषी पाया गया और उन्हें चार महीने के लिए एस. आई. से गुजरने और Rs.100/- का जुर्माना देने और चूक में, आगे 10 दिनों के लिए एस. आई. से गुजरने की सजा सुनाई गई। विद्वान सत्र न्यायाधीश ने मूल अभियुक्त को बरी कर दिया है। 2 और आई. पी. सी. की धारा 34 के साथ पठित धारा 326 और 324 के तहत 3 आरोप। विद्वान सत्र न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और दोषसिद्धि के आदेश के विरुद्ध, अभियुक्त सं। 1 और 3 ने 2010 की आपराधिक अपील No.459 दायर की और आरोपी नं। 2 उच्च न्यायालय के समक्ष 2010 की आपराधिक अपील दायर की गई। 5. उच्च न्यायालय ने, विवादित सामान्य निर्णय द्वारा, दोषसिद्धि की पुष्टि करते हुए, आंशिक रूप से अपीलों को स्वीकार कर लिया है और आदेश दिया है

इंस्पेक्टर 'बी' डिवीजन, जूनागढ़ ने बताया कि वह बमनसा घेड़ में रहता है अपने परिवार के साथ और कृषि कार्य में लगे हुए हैं और गाँव आखा के सिम में स्थित बगीचे में रहते हैं। अपनी शिकायत में उन्होंने कहा है कि लगभग 5 बजेः 00 राजशीभाई मालदेभाई करंगिया; मितेश हरदासभाई और गोकलभाई करसनभाई गोकलभाई की हीरो होंडा मोटरसाइकिल पर कुछ काम करने के लिए केशोद गए। गोकलभाई मोटरसाइकिल चला रहे थे। लौटते समय, जब वे लगभग 7 बजे कलाभाई के बगीचे के पास पहुंचेः 15 शाम को वजाशीभाई रामशीभाई, मुलुभाई मारखीभाई और कलाभाई हमीरभाई कच्छोट कुल्हाड़ी और चाकू लेकर इंतजार कर रहे थे। राजशीभाई मालदेभाई करंगिया को रोकने के लिए मुलुभाई ने कुल्हाड़ी से प्रहार किया, जो गोकलभाई के सिर पर लग गया, जिससे राजशीभाई मालदेभाई करंगिया, मितेशभाई हरदासभाई और गोकलभाई मोटरसाइकिल से नीचे गिर गए। इसके बाद तीनों अभियुक्तों ने मृतक गोकलभाई पर चाकू से हमला किया और जब राजशीभाई मालदेभाई कलभाई हमीरभाई कच्छोट बनाम।

गुजरात राज्य [आर. सुभाष रेड्डी, जे.]

हस्तक्षेप किया, राजशीभाई के सिर पर चाकू से वार किया

मालदेभाई करंगिया। यह भी आरोप है कि वज्शीभाई ने सिर के पीछे की ओर कान पर चाकू से वार किया और मितेश को बाएं कंधे पर मारा। गोकलभाई बेहोश हो गए। इसके बाद तीनों आरोपी कलाभाई की मोटरसाइकिल पर आखा की ओर भाग गए। इसके बाद, मृतक के रिश्तेदार और

घायलों को बुलाया गया और उन्हें सरकारी अस्पताल ले जाया गया जहां गोकलभाई को मृत घोषित कर दिया गया और राजशीभाई मालदेभाई और मितेशभाई को चिकित्सा उपचार दिया गया। यह भी कहा जाता है कि इस घटना के पीछे का कारण यह है कि घटना की तारीख से छह महीने पहले वज्शीभाई और मुलुभाई के बीच गोकलभाई के साथ झगड़ा हुआ था। उन्होंने शिकायत में कहा है कि वर्तमान घटना आरोपी और मृतक के बीच इस तरह की प्रतिद्वंद्विता का परिणाम है।

7. उपरोक्त शिकायत के आधार पर अपराध दर्ज किया गया और आवश्यक जांच के बाद अतिरिक्त आयुक्त के समक्ष आरोप पत्र दायर किया गया। सत्र न्यायाधीश, जूनागढ़। विद्वान सत्र न्यायाधीश ने अभियुक्त के खिलाफ आरोप तय किए। जब अभियुक्तों ने आरोपों के लिए दोषी नहीं होने का अनुरोध किया और मुकदमे का दावा किया, तो उन पर उनके खिलाफ कथित अपराधों के लिए मुकदमा चलाया गया।

8. अभियुक्त के खिलाफ बनाए गए आरोपों को साबित करने के लिए, अभियोजन पक्ष ने कुल 32 गवाहों की जांच की है और 61 दस्तावेजों को चिह्नित किया है और मुकदमे के अंत में, धारा 313 के तहत अभियुक्त का बयान दर्ज करने के बाद, अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद, विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने अपीलार्थी को दोषी ठहराया-अभियुक्त अपराधों के लिए दोषी थे और सजा सुनाई, जैसा कि ऊपर बताया गया है। अपीलार्थी अभियुक्त पर दोषसिद्धि और अधिरोपित सजा के निर्णय से व्यथित, अभियुक्त सं। 1 और 3 ने 2010 की आपराधिक अपील No.459 और मूल अभियुक्त नं. 2 उच्च न्यायालय के समक्ष 2010 की आपराधिक अपील No.405 को प्राथमिकता दी है। उच्च न्यायालय ने दोषसिद्धि की पुष्टि करते हुए धारा 428, Cr.PC के लाभ को बढ़ा दिया है और आंशिक रूप से सामान्य निर्णय द्वारा अपीलों की अनुमति दी है, केवल इंगित सीमा तक।

ऊपर।

9. हमने श्री हरिन पी. रावल को सुना है, जो 2015 की आपराधिक अपील No.216 में अपीलार्थी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील हैं; श्री डी. एन. रे, 2018 की आपराधिक अपील में अपीलार्थी की ओर से पेश होने वाले विद्वान वकील; और श्री नचिकेता जोशी, एस. एल. पी. से उत्पन्न आपराधिक अपील में अपीलार्थी की ओर से पेश होने वाले विद्वान वकील। (सीआरएल।) 2015 की No.3227 और प्रत्यर्थी राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वकील सुश्री विशाखा।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

10. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिन रावल ने तर्क दिया है कि अपीलार्थी-अभियुक्त की दोषसिद्धि मुख्य रूप से पीडब्लू-18 और पीडब्लू-19 की गवाही पर आधारित है, जो घायल चश्मदीद गवाह हैं। यह प्रस्तुत किया जाता है कि यदि उनके बयानों की बारीकी से जांच की जाती है, तो प्रमुख हैं

विरोधाभास। यह प्रस्तुत किया जाता है कि वे संयोग गवाह हैं और उनका साक्ष्य अपीलार्थी अभियुक्त की दोषसिद्धि के आधार पर विश्वसनीय नहीं है। इसके अलावा, यह प्रस्तुत किया जाता है कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में चोटों की प्रकृति के बारे में कोई उल्लेख नहीं है और अपराध में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल बरामद नहीं की गई है। यह आगे तर्क दिया जाता है कि हालांकि यह अभियोजन पक्ष का मामला है कि मृतक पर आरोपी के सिर पर चोट लगी थी, लेकिन मृतक की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में कोई संबंधित चिकित्सा चोट नहीं है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट सहित चिकित्सा रिकॉर्ड विश्वसनीय नहीं हैं और अभियोजन पक्ष मामले को उचित संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है। इस प्रकार उन्होंने अभियुक्तों को संदेह का लाभ देने और उनकी दोषसिद्धि को रद्द करने का अनुरोध किया है। अपनी दलीलों के समर्थन में, विद्वान वकील ने आनंद रामचंद्र चौगुले आदि के मामले में इस न्यायालय के फैसलों पर भरोसा किया है। सिदाराई लक्ष्मण चौगला & Ors.[1]; अकुला वीरा वेंकट सूर्य प्रकाश @बाबी बनाम। लोक अभियोजक, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय 2; और मोहिंदर सिंह और अन्र। वी. पंजाब राज्य और Ors.[3]।

11. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री डी. एन. रे

2018 की आपराधिक अपील No.290 ने तर्क दिया है कि हालांकि मृतक को एक अपीलार्थी के कारण घातक चोट लगी थी, लेकिन पीडब्लू-18 और 19 पर खून के कोई निशान नहीं थे, जिन्हें घायल गवाह बताया गया है और वे मृतक की एक ही मोटरसाइकिल पर यात्रा कर रहे थे। इसके अलावा, यह प्रस्तुत किया जाता है कि मृतक और घायलों को मारुति कार में ले जाया गया था, लेकिन कार में खून का कोई निशान नहीं था। पीडब्लूएस-18 और 19 पर भी कोई रक्त नहीं पाया गया और उन्हें लगी चोटें सतही हैं। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि कथित घटना लगभग 07 बजे हुईः 30 नवंबर के महीने में शाम को, अंधेरे में आरोपी की पहचान करने की कोई संभावना नहीं थी। इसके अलावा यह प्रस्तुत किया जाता है कि डॉक्टर के अनुसार मृतक के सिर पर कोई चोट नहीं पाई गई थी। निक्षेपण। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि कथित उद्देश्य, कि मृतक को Rs.15000/- की राशि देय थी, अभियुक्त के अपराध को दर्ज करने का कोई आधार नहीं था क्योंकि उक्त घटना घटना की तारीख से लगभग आठ महीने पहले की थी।

1 (2019) 8 एससीसी 50

2 (2009) 15 एससीसी 246

3 3 (2004) 12 एस. सी. सी. 311 कलाभाई हमीरभाई कच्छोट बनाम। गुजरात राज्य [आर. सुभाष रेड्डी, जे.]

12. श्री नचिकेता जोशी, अपीलार्थी की ओर से पेश विद्वान वकील

एस. एल. पी. से उद्भूत आपराधिक अपील में (सीआरएल।) 2015 के No.3227 ने श्री हरिन रावल और श्री डी. एन. रे के तर्कों को स्वीकार करते हुए, उन्होंने तर्क दिया कि हालांकि रिकॉर्ड पर कोई स्वीकार्य सबूत नहीं है, अपीलार्थी को कथित अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया था। उन्होंने प्रस्तुत किया है कि यदि समग्र साक्ष्य को ध्यान में रखा जाता है, तो उनके खिलाफ आरोप तय किए जाते हैं

अभियुक्त उचित संदेह से परे साबित नहीं होते हैं और यहां तक कि उच्च न्यायालय ने भी अपीलार्थी-अभियुक्त द्वारा उठाए गए आधारों पर उचित परिप्रेक्ष्य में विचार नहीं किया है और अपीलों को खारिज कर दिया है। 13. इसके विपरीत, प्रतिवादी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील सुश्री विशाखा-राज्य ने प्रस्तुत किया है कि इसके समवर्ती निष्कर्ष हैं

अपीलार्थियों के विरुद्ध दोषसिद्धि। यह प्रस्तुत किया जाता है कि निचली अदालत ने स्वयं अभिलेख पर मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य पर विस्तार से विचार किया है और इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि अपीलार्थी कथित अपराधों के लिए दोषी थे और इसमें हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि अभियुक्त सं। 1 और 3 चाकू के साथ पाए गए और आरोपी नं। 2 मृतक के सिर पर कुल्हाड़ी से वार करके घायल कर दिया, जब तीनों मोटरसाइकिल पर यात्रा कर रहे थे। यह प्रस्तुत किया जाता है कि मृतक की हत्या पीडब्लू-18 और 19 को सामान्य इरादे से घायल करके की गई थी, इसलिए सत्र न्यायालय ने उन्हें सही पाया। इसके अलावा, विद्वान वकील ने पीडब्लू-21, जो घटना स्थल पर सबसे पहले पहुंचने वाला व्यक्ति था, यानी मृतक के भाई के बयान का उल्लेख करते हुए कहा है कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट सिर के निचले हिस्से में चोट का संकेत देती है। इसके अलावा, यह प्रस्तुत करते हुए कि अभियुक्त की पहचान पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है क्योंकि सभी एक-दूसरे को जानते हैं और एक ही गाँव के हैं। उसने आगे कहा है कि चिकित्सा और नेत्र साक्ष्य अभियुक्त के खिलाफ मामले को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन करते हैं। विद्वान वकील ने अंत में

14. जवाब में, श्री हरिन रावल, विद्वान वरिष्ठ वकील और श्री डी. एन. रे, याचिकाकर्ता-अभियुक्त की ओर से पेश विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि कथित घटना लगभग 07 बजे हुई हैः 30 पी. एम. 10.11.2006 पर और यहां तक कि साक्ष्य के अनुसार, पीडब्लू-18 और 19 उस स्थान पर बने रहे 4 (2002) 7 एस. सी. सी. 606

5 (2011) 4 एससीसी 324 [2021] 4 एस. सी. आर.

लगभग 45 मिनट के लिए घटना, जो असामान्य है। इसे प्रस्तुत किया जाता है। कि इस तरह की स्थिति में, पीडब्लू-18 और 19, जिन्हें चोटें आईं, उन्हें मृतक को निकटतम अस्पताल में स्थानांतरित करने का प्रयास करना चाहिए था

तुरंत। प्रतिपरीक्षा में पीडब्लू-18 और 19 के बयान का उल्लेख करते हुए, यह प्रस्तुत किया जाता है कि पीडब्लू-18 और 19 को होने वाली ऐसी चोटें स्वयं से लगी हो सकती हैं। यह दोहराते हुए कि बयानों में देखी गई विसंगतियां प्रमुख हैं, इसलिए, संदेह का लाभ अपीलार्थियों को मिलना चाहिए और अभियुक्त को बरी करने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए।

15. दोनों पक्षों के विद्वान वकील को सुनने के बाद, हमने निचली अदालत के साथ-साथ उच्च न्यायालय के फैसले का भी अध्ययन किया है

और अभिलेख पर रखी गई अन्य सामग्री।

16. अभिलेख पर साक्ष्य और निचली अदालत द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों की बारीकी से जांच करने पर, जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई है, हम नहीं करते हैं

उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई निचली अदालत द्वारा दर्ज की गई दोषसिद्धि में हस्तक्षेप करने के लिए, अपीलार्थी अभियुक्त के लिए विद्वान वकील की प्रस्तुतियों में कोई योग्यता पाएँ।

17. अपीलार्थियों के खिलाफ लगाए गए आरोपों को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष ने 32 गवाहों से पूछताछ की है और 61 दस्तावेजों को इस रूप में चिह्नित किया है -

परीक्षण के दौरान प्रदर्शन। अभियोजन पक्ष की ओर से जिन अन्य गवाहों से पूछताछ की गई, उनमें राजशीभाई मालदेभाई करंगिया, जो घटना के समय मृतक के साथ थे, से पीडब्लू-18 के रूप में पूछताछ की गई। अपने बयान में उन्होंने कहा है कि यह घटना लगभग 07 बजे हुईः 30 शाम को 10.11.2006 पर बमनसा-अखा रोड पर। उस दिन वह मितेशभाई और गोकलभाई (मृतक) के साथ लगभग 05 बजे हीरो होंडा मोटरसाइकिल पर केशोद गएः 00 शाम के बज रहे हैं। गोकलभाई मोटरसाइकिल चला रहे थे और उसके बाद लगभग 06 बजेः 45 शाम को गोकलभाई के भाई वज्शीभाई ने गोकलभाई को फोन किया और कहा कि वह किसी अन्य काम के लिए मोटरसाइकिल पर जाना चाहते हैं और उनसे अनुरोध किया कि अगर उनका काम पूरा हो जाए तो वे वापस आ जाएं। इसलिए, वे केशोद से गाँव बमनसा की ओर बढ़े और जब वे कलाभाई के खेत के पास पहुँचे-एक पुलिसकर्मी, वज्शीभाई रामशीभाई चाकू से लैस, मुलुभाई मारखीभाई। कुल्हाड़ी से लैस और चाकू से लैस कलाभाई हमीरभाई उन्हें रोकने के लिए सड़क के पार खड़े थे। जब गोकलभाई ने वाहन को धीमा कर दिया, तो मुलुभाई मार्कीभाई ने गोकलभाई के सिर पर कुल्हाड़ी से वार किया और इसलिए वे मोटरसाइकिल से नीचे गिर गए और फिर आरोपी गोकलभाई को कुल्हाड़ी और चाकू से मारना शुरू कर दिया। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि जब उन्होंने और मितेश ने हस्तक्षेप करने की कोशिश की, तो उन्हें भी चोटें आईं। इसके बाद उन्होंने कलभाई हमीरभाई कच्छोट वी. में मसारीभाई को फोन किया।

गुजरात राज्य [आर. सुभाष रेड्डी, जे.]

बमनसा ने अपने मोबाइल से उनसे वाहन लेकर घटना स्थल पर आने का अनुरोध किया। इसलिए, कुछ समय बाद, राजूबापू बावाजी मारुति वैन के साथ आए और समत गोविंद और वज्जी करसन राजूबापू के साथ थे। यहाँ तक कि इस गवाह के कहने के अनुसार घटना का कारण है

गोकलभाई और वाजशीभाई के बीच Rs.15000/- के किराए के संबंध में विवाद, जो घटना से छह महीने पहले हुआ था, जिसमें से

जूनागढ़ पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई थी। घटना के दिन मृतक के साथ मौजूद अन्य व्यक्ति मितेश हरदास थे।

कच्छोट-पीडब्लू-19 ने भी पीडब्लू-18 की तर्ज पर पदच्युत किया है। पीडब्लू-18 और 19 की गवाही, जो घटना के दिन मृतक के साथ थे और जो एक ही मोटरसाइकिल पर यात्रा कर रहे थे, काफी स्वाभाविक और भरोसेमंद है। हालाँकि यह अपीलार्थी-अभियुक्त के विद्वान वकील का तर्क है कि चूंकि घटना नवंबर के महीने में हुई थी, इसलिए अंधेरे में हमलावरों की पहचान करना संभव नहीं था, साथ ही रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि वाहन की हेडलाइट 'चालू' थी और घटना स्थल के रिकॉर्ड और पंचनामे से यह स्पष्ट है कि वादी पर एक रोशनी थी। यह भी ध्यान देने योग्य है कि आरोपी और गवाह एक ही गाँव के हैं, जो एक छोटा सा गाँव प्रतीत होता है।

गाँव और आम तौर पर गाँव में रहने वाले लोग अक्सर मिलते हैं, व्यक्तियों की पहचान करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। इसलिए, जहां तक अभियुक्त की पहचान का संबंध है, यह रिकॉर्ड पर साक्ष्य द्वारा अच्छी तरह से समर्थित है। अभियोजन पक्ष ने डॉ. निखिलकुमार बुच-पीडब्लू-1 से भी पूछताछ की, जिसने बयान दिया है कि वह ड्यूटी पर था।

सिविल अस्पताल, जूनागढ़ में 10.11.2006 पर। उस दिन लगभग 10 बजेः 40 घंटे। रात में, घायल राजशी मालदे को उसके भतीजे हितेश हरदास द्वारा शिकायत के साथ इलाज के लिए उसके पास लाया गया और कहा गया कि वज़ी रामशी ने उस पर हमला किया और चाकू से वार किया। गवाह चिकित्सक ने चोट प्रमाण पत्र जारी किया है जिसे एक्सएच के रूप में प्रदर्शित किया गया है। 18. डॉ. प्रफुल्लबेन मोहनलाल धबरिया की जांच पीडब्लू-2 के रूप में की गई, जिन्होंने मृतक का पोस्टमॉर्टम किया है। उक्त गवाह ने मृतक के व्यक्ति पर निम्नलिखित चोटें पाई हैंः

एक कटा हुआ, कटा हुआ घाव था जो अनुप्रस्थ था,

" (i)

बाईं जांघ के बीच में। यह त्वचा और मांसपेशियों तक था। यह अण्डाकार आकार का था और 5 इंच लंबा, 1 और 1⁄2 इंच चौड़ा था।

और 3/4 इंच गहरा।

बाईं छाती पर कटा हुआ घाव था, बाईं ओर 6 वीं इंटर

(ख)

तटीय स्थान मध्य क्लैविकुलर रेखा से शुरू होता है और [2021] 4 एस. सी. आर. था।

नीचे की ओर और पीछे की ओर जाना। यह 2 और 1⁄2 इंच लंबा, इंच चौड़ा है और गुहा में प्रवेश करता है। घाव का मार्ग टेपर हो रहा है और खून के साथ घुसपैठ कर रहा है। बाहर निकलने का कोई घाव नहीं है। यह पीछे और
बाईं निलय दीवार में प्रवेश करता है।

बालों की रेखा के स्तर पर घाव काटा गया था

iii)

गर्दन पीछे की ओर 3 इंच लंबी होती है जो बाईं ओर मध्य रेखा से ढाई इंच से शुरू होती है और अनुप्रस्थ रूप से फैली होती है।

दाहिनी ओर। घाव 1⁄2 इंच चौड़ा होता है, त्वचा, मांसपेशियों को काटता है और ग्रीवा कशेरुका को चराई करता है। रक्तस्राव नोट किया गया।

(iv)

नीचे गर्दन के दाहिने हिस्से में घाव था।

चोट के ऊपर पार्श्व माप 1 x 1⁄2 x 1⁄2 इंच लंबा x चौड़ा

x गहरा। इसके
नीचे 2 "से ऊपर के समानांतर घाव काटा गया था।

v)

माप 1 "x 1/2" x 2 "।

vi)

आधार पर दाहिने स्कैपुला के ठीक ऊपर कटा हुआ घाव था।

यह पार्श्व और अनुप्रस्थ और ऊपर की ओर फैला हुआ है। यह 2 "लंबा, 1" चौड़ा है और छाती गुहा में प्रवेश करता है। घाव ऊपर की ओर सिकुड़ रहा है। यह दाहिने ऊपरी फेफड़े के लोब में प्रवेश करता है। दाएँ स्कैपुला क्षेत्र पर बीच में घाव हुआ था।

vii)

1 "x 1/2" x 1/2 "मापना त्वचा और मांसपेशियों के माध्यम से काटना,

वर्टिब्रल मार्जिन के बगल में, अनुप्रस्थ।

viii) दाहिने स्कैपुला क्षेत्र पर लगभग केंद्रीय और अनुप्रस्थ रूप से 1 1⁄2 "x 1" x 1⁄2 "मापने वाला घाव था।

ix)

स्कैपुला ऊर्ध्वाधर रूप से और स्कैपुलर माप की सीमा पर 1 1/2 " x1 "x1/2" त्वचा और मांसपेशियों के माध्यम से काटना।

ऊपर के घाव के बगल में भी घाव काटा गया था।

x)

ऊपर के घाव के समानांतर, उससे 2 "दूर और माप 1

1/2 "x 1" x 1/2 "त्वचा और मांसपेशियों के माध्यम से काटना।

चीरा हुआ घाव और पार्श्व और ऊपर के समानांतर था,

xi)

2 " इससे दूर, 1 1/2 "x 1" x 1/2 "मापते हुए

त्वचा और मांसपेशियाँ।

दाहिनी पीठ पर कटा हुआ घाव था, 10 वीं इंटरकोस्टल

xii)

अंतरिक्ष अनुप्रस्थ, 2 "x1" x2 "मापने वाला।

कलभाई हमीरभाई कच्छोट वी। गुजरात राज्य [आर. सुभाष रेड्डी, जे.]

बाईं खोपड़ी के ऊपर, आधार पर घाव काटा गया था,

xiiii)

2 "x 1" x 2 "मापने वाले ऊर्ध्वाधर घाव के माध्यम से गहरी कटाई

त्वचा और मांसपेशियाँ।

xiv) टी12 के स्तर पर घाव, 3 1⁄2 "x 1" मापने वाला अनुप्रस्थ घाव और त्वचा, मांसपेशियों और चराई हड्डी के माध्यम से काटना।

एल 2 के स्तर पर घाव, अनुप्रस्थ घाव मापना

xv)

1 1⁄2 "x 1" x 1 2 "त्वचा और मांसपेशियों के माध्यम से काटना।

xvi) L5-S1 अनुप्रस्थ घाव के स्तर पर घाव

माप 3 "x 1⁄2" और त्वचा, मांसपेशियों और चराई हड्डी के माध्यम से काटना।

xvii) त्रिक क्षेत्र, ऊर्ध्वाधर, मध्य रेखा मापने पर घाव

1 " x1/2 "x 1⁄2", मांसपेशियों में गहरी।

xviii) त्रिक क्षेत्र, ऊर्ध्वाधर, 1 "x 2" x 2 "मापने वाली मध्य रेखा, घाव की मांसपेशियों के ऊपर 2" नीचे घाव।

xix) चोट संख्या 16 के नीचे लगभग 1 "चीरा हुआ घाव, पार्श्व

इसे मापने के लिए 1 "x 1⁄2" x 1/2 "।

अपने बयान में, उपरोक्त चोटों के संदर्भ में, उन्होंने यह भी राय दी है कि सभी चोटें पोस्टमार्टम से पहले की हैं। जिन चोटों का उल्लेख किया गया है, उन्हें पोस्टमॉर्टम नोट में संलग्न किया गया है। श्री

जगदीशभाई सरमनभाई कमलिया, जो शव के पंचमान के पंच गवाह थे, की जांच पीडब्लू-5 के रूप में की गई। श्री हरदासभाई भिखाभाई भेटरिया से पीडब्लू-6 के रूप में पूछताछ की गई जो अपराध स्थल के पंच गवाह थे। अभियोजन पक्ष ने पी. डब्ल्यू.-20 के रूप में मशारीभाई गोविंदभाई करंगिया से भी पूछताछ की है। अपने बयान में उन्होंने कहा है कि घटना की तारीख को जब वे अपने खेत में थे, उन्हें लगभग 07 बजे राजशी मालदे का फोन आयाः 30 शाम को घटना और उन पर हमले के बारे में बताते हुए उन्हें राजूबापू की मारुति वैन के साथ आने के लिए कहा गया और उसके बाद वह अपनी मोटरसाइकिल पर गांव चला गया। चूंकि वे राजूबापू से नहीं मिल सके, इसलिए उन्होंने फोन पर राजूबापू से संपर्क किया और उनसे अपनी मारुति वैन के साथ तुरंत कालाभाई के खेत में आने का अनुरोध किया, जो आखा के रास्ते पर स्थित है। उन्होंने अपने बयान में स्पष्ट रूप से कहा है कि जब वह मौके पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि मितेशभाई और राजशी माल्डे पर चोटें आई हैं और गोकलभाई खून बहने की हालत में पड़ा हुआ था। उन्होंने यह भी कहा है कि

कलाभाई के खेत में एक दीपक था, जिसकी रोशनी सड़क पर पड़ रही थी। मृतक के भाई की जाँच की गई

पीडब्लू-21 के रूप में। अपने बयान में उन्होंने यह भी कहा है कि चूंकि गोकलभाई ने हीरो होंडा मोटरसाइकिल ली है और मोटरसाइकिल पर स्टेशन से बाहर जाने के लिए उन्हें इसकी आवश्यकता थी, इसलिए उन्होंने अपने मोबाइल नंबर पर राजशी को फोन किया। 9825921960 गाँव में नाथूभाई की दुकान से सिक्का ड्रॉप बॉक्स फोन के माध्यम से। यहाँ तक कि इस गवाह ने भी कहा है कि इस घटना का कारण यह है कि गोकलभाई ने अपने ट्रैक्टर और Rs.15000/की राशि के माध्यम से वजाशीभाई रामशी के खेत में मिट्टी उतार दी।

18. विद्वान वकीलों का यह निवेदन कि मृतक के सिर पर कोई चोट नहीं थी, जैसा कि पीडब्लू-18 और 19 द्वारा और पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के अनुसार भी, जैसे कि पीडब्लूएस-18 और 19 का बयान है त्याग दिया जाना, इस कारण से स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट सिर के निचले हिस्से में चोट का संकेत देती है। मृतक पर कुल्हाड़ी से हमला करने का प्रयास किया गया। हम यह उम्मीद नहीं कर सकते कि इसे सिर के बीच में मारा जाना चाहिए। यह सिर के निचले हिस्से में गिरा है, यही पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से स्पष्ट होता है। इस स्तर पर, यह ध्यान देने योग्य है कि मृतक और घायल पर हमला किया गया था, जब वे मोटर साइकिल पर जा रहे थे। इस प्रकार, यह नहीं कहा जा सकता है कि केवल इसलिए कि सिर के केंद्र में कोई चोट नहीं है, पीडब्ल्यूएस-18 और 19 की गवाही को खारिज कर दिया जाना चाहिए। जिस डॉक्टर ने पोस्टमॉर्टम किया है, उसने भी अपने बयान में स्पष्ट रूप से कहा है कि मृतक पर जो भी चोटें देखी गईं, वे पूर्व-पोस्टमार्टम थीं। यदि सभी गवाहों के पूरे साक्ष्य की चिकित्सा और अभिलेख पर अन्य साक्ष्य के संदर्भ में जांच की जाती है, तो यह स्पष्ट है कि अभियोजन पक्ष ने आरोपी के अपराध को उचित संदेह से परे साबित कर दिया है। सभी अभियुक्तों ने एक समान इरादे से अपराध किया है। अभिलेखसँ ई स्पष्ट अछि जे भूमिकाक श्रेय अभियुक्त सं। 1 , 2 और 3 पूरी तरह से समर्थित है

घायल गवाहों के साथ-साथ जाँच अधिकारी के बयान द्वारा। हालांकि प्रमुख गवाहों से लंबी पूछताछ की गई, लेकिन कुछ भी प्रतिकूल नहीं पाया गया। यदि पीडब्लू-20, अर्थात मशारीभाई की गवाही की जांच की जाती है, तो यह पूरी तरह से पीडब्लू-18,19 और 21 के साक्ष्य द्वारा समर्थित है। यह स्पष्ट है।

अभिलेख पर साक्ष्य से कि उनकी गवाही स्वाभाविक और भरोसेमंद है और जहाँ तक पीडब्लू-18 और 19 का संबंध है, यह नहीं कहा जा सकता है कि वे संयोग गवाह हैं। यहां तक कि पीडब्लू-18 और कलभाई हमीरभाई कच्छोट बनाम को लगी चोटें भी।

19 चिकित्सा विशेषज्ञ की राय के अनुसार स्व-प्रभावित नहीं हैं। इसके अलावा, जिस डॉक्टर की जांच की गई थी, उनकी राय से यह भी स्पष्ट है कि सभी चोटें मुद्दम्मल चाकू और कुल्हाड़ी से संभव थीं। आगे यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि सीरोलॉजिकल रिपोर्ट जिसमें से मृतक और आरोपी के कपड़ों पर रक्त समूह पाया गया था। 1 और 2 एक ही है। यहां तक कि आरोपी की उपस्थिति के संबंध में नं। 3 , अभिलेख पर पूरे मौखिक साक्ष्य पर विचार करते हुए यह भी स्पष्ट है कि मौके पर उनकी उपस्थिति भी उचित संदेह से परे साबित हुई है।

19. हम विद्वान वकील के तर्क में भी कोई सार नहीं पाते हैं कि पीडब्ल्यूएस-18 और 19 के बयान में बड़े विरोधाभास हैं। जिन अंतर्विरोधों को पेश करने की कोशिश की जाती है छोटे विरोधाभास हैं जो उन्हें त्यागने का आधार नहीं हो सकते हैं।

सबूत। मोहर * के मामले में इस न्यायालय के फैसले पर प्रतिवादी के विद्वान वकील ने भरोसा किया-राज्य अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन करता है। उपरोक्त निर्णय में, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि एक घायल गवाह को बदनाम करने के लिए विश्वसनीय साक्ष्य की आवश्यकता है। का पैरा 11

फैसला इस प्रकार हैः

" 11. एक घायल गवाह की गवाही की अपनी प्रभावकारिता और प्रासंगिकता होती है। यह तथ्य कि गवाह के शरीर पर चोटें आई हैं, यह दर्शाता है कि वह घटना स्थल पर मौजूद था और उसने खुद घटना को देखा है। घायल गवाह को बदनाम करने के लिए विश्वसनीय साक्ष्य की आवश्यकता होगी। इसी तरह, प्रत्येक

हालाँकि, पीडब्लू 2 विभूति ने कहा कि घटना के समय राम अवध का बेटा, जगजीत उर्फ जगरजीत एक गाय को दूध पिला रहा था और उसे जगदीश भी कहा जाता था। बल्ली (पीडब्लू 3) ने अपने नाम का उल्लेख इस प्रकार किया जगजीत और जगदीश। पीडब्लू 4 ने भी उनका नाम जगदीश रखा।

प्रत्यर्थी के लिए विद्वान वकील-राज्य ने भी नरेश और Ors.5 के मामले में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया है। उपरोक्त में

फैसले में, इस अदालत ने माना है कि घायल गवाहों के साक्ष्य [2021] 4 एस. सी. आर.

ठोस कारण बताए बिना उन्हें दरकिनार कर दिया जाए। पैराग्राफ

निर्णय का घ 30 जो प्रासंगिक है, निम्नानुसार पढ़ा जाता हैः

" 27. एक घायल गवाह के साक्ष्य को एक मुहरबंद गवाह होने के नाते उचित महत्व दिया जाना चाहिए, इसलिए उसकी उपस्थिति पर संदेह नहीं किया जा सकता है। उनके बयान को आम तौर पर बहुत विश्वसनीय माना जाता है और यह संभावना नहीं है कि उन्होंने किसी और को गलत तरीके से फंसाने के लिए वास्तविक हमलावर को बख्शा हो। एक घायल गवाह की गवाही की अपनी प्रासंगिकता और प्रभावकारिता होती है क्योंकि उसे घटना के समय और स्थान पर चोटें लगी हैं और यह उसकी गवाही को समर्थन देता है कि वह घटना के दौरान मौजूद था। इस प्रकार, एक घायल गवाह की गवाही को एक विशेष दर्जा दिया जाता है कानून। गवाह अपने वास्तविक हमलावर को केवल अपराध के लिए किसी तीसरे व्यक्ति को गलत तरीके से फंसाने के लिए दंडित नहीं करना चाहेगा या नहीं करना चाहेगा। इस प्रकार, घायल गवाह के साक्ष्य पर तब तक भरोसा किया जाना चाहिए जब तक कि प्रमुख विरोधाभासों के आधार पर उसके साक्ष्य की अस्वीकृति के लिए आधार न हों और

उसमें विसंगतियाँ। (जरनैल सिंह बनाम। की स्थिति

पंजाब [(2009) 9 एससीसी 719: (2010) 1 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 107] 'बलराजे बनाम। महाराष्ट्र राज्य [(2010) 6 एससीसी 673: (2010) 3 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 211] और अब्दुल सईद बनाम। एम. पी. राज्य [(2010) 10 एस. सी. सी. 259: (2010) 3 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 1262]

... .

.....

30. सभी आपराधिक मामलों में, अवलोकन की सामान्य त्रुटियों के कारण गवाहों के बयानों में सामान्य विसंगतियां होना तय है, अर्थात्, समय बीतने के कारण या घटना के समय सदमे और भय जैसे मानसिक स्वभाव के कारण स्मृति की त्रुटियां। जहां चूक एक विरोधाभास है, गवाह और अन्य गवाहों की सच्चाई के बारे में गंभीर संदेह पैदा करना भी अदालत में गवाही देते समय भौतिक सुधार करता है, जैसे कि

साक्ष्य पर भरोसा करना सुरक्षित नहीं हो सकता है। हालांकि, मामूली

विरोधाभासों, विसंगतियों, अलंकरण या तुच्छ मामलों में सुधार जो अभियोजन मामले के मूल को प्रभावित नहीं करते हैं, उन्हें ऐसा आधार नहीं बनाया जाना चाहिए जिसके आधार पर साक्ष्य को पूरी तरह से खारिज किया जा सके। अदालत को गवाह की विश्वसनीयता के बारे में अपनी राय बनानी होगी और एक निष्कर्ष दर्ज करना होगा कि क्या उसका

निक्षेपण आत्मविश्वास को प्रेरित करता है।

लबाई हमीरभाई कच्छोट वी। गुजरात राज्य [आर. सुभाष रेड्डी, जे.]

अभियोजन की विश्वसनीयता का परीक्षण करने वाले कारकों में से एक हो सकता है संस्करण, जब पूरे साक्ष्य को एक क्रूसिबल में रखा जाता है

विश्वसनीयता की कसौटी पर परखा गया "। [एड। : जैसा कि बिहारी नाथ गोस्वामी बनाम में देखा गया है। शिव कुमार सिंह, (2004) 9 एस. सी. सी. 186, पी. 192 ,

पैरा 9।]

इसलिए, एक गवाह के बयानों में केवल मामूली भिन्नताओं को सुधार के रूप में नहीं कहा जा सकता है क्योंकि वही गवाह द्वारा पहले दिए गए बयान का विस्तार हो सकता है। वे चूक जो सामग्री विवरणों में विरोधाभास के बराबर हैं अर्थात मामले की जड़ तक जाते हैं/अभियोजन पक्ष के मामले के मुकदमे या मूल को भौतिक रूप से प्रभावित करते हैं,

गवाह की गवाही को बदनाम करने के लिए उत्तरदायी बनाना। [राज्य बनाम। सरवनन [(2008) 17 एससीसी 587: (2010) 4 एस. सी. सी. (सी. आर. आई) 580: ए. आई. आर. 2009 एस. सी. 152], अरुमुगम बनाम। राज्य [(2008) 15 एस. सी. सी 590: (2009) 3 एस. सी. सी. (सी. आर. आई) 1130: ए. आई. आर. 2009 एस. सी. 331], महेंद्र प्रताप सिंह बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य [(2009) 11 एस. सी. सी. 334: (2009) 3 एससीसी (सीआरआई)

1352] और सुनील कुमार संभुदयाल गुप्ता (डॉ.) बनाम। की स्थिति

महाराष्ट्र [(2010) 13 एससीसी 657: जेटी (2010) 12 एससी 287] "।

इसके अलावा, नारायण चेतनराम चौधरी और अन्न के मामले में।

महाराष्ट्र के इस न्यायालय ने आपराधिक मुकदमे में साक्ष्य की सराहना करते हुए गवाहों के बयानों में विरोधाभासों के प्रभाव पर विचार किया है। उपरोक्त निर्णय में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि भौतिक विवरणों में विरोधाभास, न कि मामूली विरोधाभास

ई गवाहों की गवाही को बदनाम करने का आधार। प्रासंगिक

निर्णय के पैरा 42 का पाठ इस प्रकार हैः

" 42. केवल ऐसी चूक जो भौतिक विवरणों में विरोधाभास है, का उपयोग गवाह की गवाही को बदनाम करने के लिए किया जा सकता है। पुलिस के बयान में चूक अपने आप में गवाह की गवाही को अविश्वसनीय नहीं बनाएगी। जब अदालत में गवाह द्वारा दिया गया बयान उसके पहले के बयानों में बताए गए विवरण से अलग होता है, तो अभियोजन पक्ष का मामला संदिग्ध हो जाता है और अन्यथा नहीं। मामूली विरोधाभास हैं

सच्चे गवाहों के बयानों में स्मृति के रूप में उपस्थित होने के लिए बाध्य

कभी-कभी गलत खेल खेलते हैं और अवलोकन की भावना अलग होती है

व्यक्ति से व्यक्ति। यदि पहले के कथन में चूक पाई जाती है

तुच्छ विवरण होने पर, जैसा कि वर्तमान मामले में है, पी. डब्ल्यू. 2 की गवाही में कोई कमी नहीं आएगी। भले ही वहाँ है

किसी भी भौतिक बिंदु पर गवाह के बयान का विरोधाभास, जो ऐसे गवाह की पूरी गवाही को अस्वीकार करने का कोई आधार नहीं है।

.....

20. उपरोक्त अनुपात को, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा निर्धारित किया गया है, अभिलेख पर साक्ष्य के साथ लागू करके, हमारा स्पष्ट रूप से यह विचार है कि अभियोजन पक्ष ने सभी अपीलार्थी-अभियुक्तों के खिलाफ मामले को उचित संदेह से परे साबित कर दिया है। मोटरसाइकिल को जब्त नहीं करने और पीड़ितों में से किसी एक की सोने की चेन को जब्त नहीं करने जैसी चूक, प्रमुख गवाहों की गवाही को बदनाम करने का कोई आधार नहीं है, जिनसे उनकी ओर से पूछताछ की गई थी।

अभियोजन पक्ष का, जिसका कथन सुसंगत, स्वाभाविक और विश्वसनीय है।

21. मामले के उस दृष्टिकोण में, हम पूरी तरह से सहमत हैं

अपीलार्थियों के खिलाफ दोषसिद्धि दर्ज करने में निचली अदालत द्वारा लिया गया दृष्टिकोण, जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई है। इसलिए, अपीलार्थियों के खिलाफ दर्ज समवर्ती निष्कर्षों में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाता है। जैसा कि पहले चर्चा की गई है, यह भी स्पष्ट है कि घटना से लगभग छह महीने पहले मृतक और एक आरोपी के बीच झगड़ा हुआ था

ट्रैक्टर के किराए के भुगतान के संबंध में। इसके अलावा यह रिकॉर्ड में लाया गया है कि

उनके बीच दुश्मनी थी जो अपराध का कारण है। इस प्रकार, अभियोजन पक्ष ने उचित संदेह से परे यह स्थापित किया है कि सभी अभियुक्तों ने एक समान इरादे से अपराध किया है और अपराध करने में भाग लिया है। निचली अदालत के साथ-साथ उच्च न्यायालय ने कानून या तथ्यों में कोई त्रुटि नहीं की है, इसलिए इस अदालत द्वारा इसे बरकरार रखने की आवश्यकता है। जहाँ तक अपीलार्थियों के विद्वान वकील द्वारा दिए गए निर्णयों का संबंध है, मामले के तथ्यों और अभिलेख पर साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, हमारा विचार है कि उपरोक्त निर्णय अपीलार्थियों के मामले का समर्थन करने के लिए कोई सहायता प्रदान नहीं करेंगे।

22. उपरोक्त कारणों से, हम इन अपीलों में कोई योग्यता नहीं पाते हैं, उन्हें तदनुसार खारिज कर दिया जाता है।